96

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy. No. 1278
Dated 9/8/12

जय भगवान अग्रवाल

- उपनेता प्रतिपक्ष, दिल्ली विधान सभा
- सदस्य, दिल्ली विधान सभा
- सदस्य, लोक लेखा समिति
- सदस्य, कार्य मत्रंणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
एवम्
• ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34
फोन (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मो०) 9310111717, 20606393

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy. No. L-102
Dated 5/9/12

अर्ध. शा. पत्र. स. वि.से.12/418 "प्रथम अनुस्माकर" दिनांक 16-07-2012

माननीय उपराज्यपाल जी,

विषय—: एक ही नाम से दो प्लोटो को जोड़कर बनाये गये जोड़ (मकानो) का बिल्ड़िग प्लान स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेरे पास आज दिनांक 16.07.2012 को रोहिणी मे रहने वाले लोगो का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने आया और मुझे जानकारी दी कि दिल्ली नगर निगम द्वारा कुछ समय पूर्व एक ही व्यक्ति के नाम से दो जुड़े हुये प्लाटो को जोडकर बनाये गये जोडो के नम्शे स्वीकृति किये जा रहे थे लेकिन अब बंद कर दिये है जिसके कारण उन लोगो के समक्ष काफी परेशानी हो रही है जिन्होने जोड़ो के नक्शें स्वीकृति होने की बॉह में जोडे खरीद लिये है अब न ही उनके नक्शे स्वीकृति हो रहे है एवं न ही वह जोडे बना पा रहे है। जबकि दिल्ली नगर निगम के रोहिणी जोन के अधिशाषी अभियंता रोहिणी क्षेत्र–1 द्वारा आर.टी. आई. में मॉगी गई जानकारी में आई.डी. न0–123 / आर.टी.आई / एस.ई.(रोहिणी–1) 10 दिनांक 19.05. 2010 के जवाब में जोड़ो के बिल्ड़िग प्लान स्वीकृत करने का जवाब प्राप्त हो रहा है। मैं पत्र के साथ जोडो के स्वीकृत बिल्डिग प्लान की सूची और अपनी दिल्ली साप्ताहिक अखबार की कटिंग एवं अन्य अखबारों की कटिंग एवं आर.टी.आई.के जवाब की प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूं, जबकि मास्टर प्लान 2021 के पैरा 3.3.2 गाईड लाईन फॉर री–डिवलपमैंट स्कीम के कॅमाक 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जोड़ो के नक्शे स्वीकृत किये जायेगें।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध मे मेरा आपसे अनुरोध है मास्टर प्लान 2021 को ध्यान में रखते हुये उन जिन लोगो ने प्लाटों के जोडे लिये हुये है उनके जोडो के (दो प्लाटो) को जोड़कर मकान बनाने के सपने को पूरा करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करे कि पहले की तर्ज पर प्लाट के जोडो के बिल्डिग प्लान स्वीकृति करने की कृपा करे एवं की सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत करवाने की कृपा करे। इस सन्दर्भ में मुझे आपके कार्यालय से दिनांक 30 अप्रैल 2012 का लिखा पत्र संख्या 440 / 1136--37 प्राप्त हुआ है जिसकी फोटोप्रति मैं इस पत्र के साथ सलंग्न कर रहा हूँ।

आदर सहित,

आपका

Bhagwan

(जय भगवान अग्रवाल)

श्री तेजेन्द्र खन्ना जी
उपराज्यपाल दिल्ली,
राजनिवास मार्ग,
दिल्ली--110054

प्रतिलिपि-- 1. उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली
2. I. M. PARATE (Director Planing) MP DDA

Hunt 9/8
AD(RS) III